

सं.ए-12021/2/2021-सीपीडब्ल्यू
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(सीपी प्रभाग)

विषय: सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पद हेतु चयन के संबंध में।

सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), दिल्ली के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

2. सीपीसीबी की स्थापना जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत की गई थी। सीपीसीबी प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण से संबंधित कार्यों को निष्पादित करता है। सदस्य सचिव एक पूर्णकालिक पदधारी होगा।

3. सदस्य सचिव, सीपीसीबी, दिल्ली के पद हेतु निबंधन एवं शर्तें निम्नलिखित हैं:-

1.	वेतनमान	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल 13क (ग्रेड वेतन : 8900)
2.	भर्ती की पद्धति	प्रतिनियुक्ति द्वारा
3.	निबंधन और शर्तें	सदस्य सचिव, केंद्र सरकार के तहत समतुल्य रैंक के अधिकारियों पर लागू निबंधनों एवं शर्तों द्वारा शासित होगा।
4.	(क) अर्हता और अनुभव	<p>केंद्र या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा सरकारी शोध संस्थान अथवा स्वायत्तशासी या सांविधिक निकाय के अधिकारी -</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारक हों; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में 8,700/- रूपए ग्रेड वेतन के साथ 37,400/-रु.-67,000/-रु. के वेतन बैंड-4 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में दो वर्ष की सेवा दे चुके हों अथवा 7,600/-रु. ग्रेड वेतन के साथ 15,600/-39,100/-रु. के वेतन बैंड-3 या समतुल्य ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में छह वर्ष की सेवा दे चुके हों; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित अर्हता एवं अनुभव रखते हों:-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय या समतुल्य से विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा अभियांत्रिकी में डिग्री; और</p> <p>(ii) सरकारी विभाग अथवा संस्थान अथवा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा सरकारी शोध संस्थान अथवा स्वायत्तशासी या सांविधिक निकाय में प्रशासनिक अथवा प्रबंधकीय स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण के वैज्ञानिक, अभियांत्रिकी अथवा प्रबंधन पहलुओं से संबंधित मामलों में व्यावहारिक अनुभव के साथ कम-से-कम 6,600/-रु. ग्रेड वेतन सहित 15,600/-रु.-39,100/-</p>

		रू.के वेतन बैंड-3 के रैंक एवं वेतनमान में नियमित समूह 'क' पदों पर कार्य करने का बारह (12) वर्षों का अनुभव।
	(ख) वांछनीय	किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय या समतुल्य से पर्यावरण संबंधी विज्ञान में पीएचडी अथवा पर्यावरण संबंधी किसी विषय में अभियांत्रिकी में एम.टेक।
5.	कार्यकाल	प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी संगठन या विभाग अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, सामान्य रूप से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
6.	आयु सीमा	प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को छप्पन (56) वर्ष से अधिक नहीं होगी, बशर्ते कि उम्मीदवार इस पद हेतु निर्धारित पात्रता की अन्य शर्तों को पूरा करता हो।


4. आवेदन का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट <https://moef.gov.in/> पर भी उपलब्ध है।

5. इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से अनुरोध है कि आवेदन पत्र परिशिष्ट में दिए गए प्रपत्र में आठ (8) सेटों में निम्नलिखित पते पर इस प्रकार प्रेषित करें ताकि वे 30 अप्रैल, 2023 तक पहुंच जाएं:

श्री प्रसून त्रिपाठी,
अवर सचिव (सीपी प्रभाग),
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
द्वितीय तल, पृथ्वी विंग,
इंदिरा पर्यावरण भवन,
जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003

टिप्पणी 1:- केंद्र या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा सरकारी शोध संस्थान अथवा स्वायत्तशासी या सांविधिक निकाय में कार्यरत अधिकारी अपना आवेदन आठ (8) सेटों में अद्यतन वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) डोजियर, सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र एवं सतर्कता अनापत्ति के साथ उचित माध्यम से प्रेषित करें। ऐसे अधिकारियों के मामले में, आवेदन को अग्रेषित करने वाले संबंधित मूल मंत्रालय/विभाग/संगठन को यह कड़ाई से सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदक अधिकारी इस पद हेतु निर्धारित ऊपर यथोल्लिखित पात्रता के मानदण्डों को पूरा करता है।

टिप्पणी 2:- साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले बाहरी उम्मीदवारों को प्रासंगिक यात्रा दस्तावेज जमा करने पर सबसे छोटे मार्ग से आने-जाने के ईकोनॉमी क्लास के हवाई किराए या प्रथम एसी के रेल किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।


(रविन्द्र कुमार तिवारी)
उप सचिव, सीपी प्रभाग

No. A-12021/2/2021-CPW
Government of India
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
(CP Division)

Subject: Selection to the post of Member Secretary, Central Pollution Control Board – reg.

Applications are invited from eligible candidates for appointment to the post of Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB), Delhi.

2. The CPCB was established under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. The CPCB exercises functions related to prevention and control of pollution. The Member Secretary shall be a full time incumbent.

3. The following are the terms and conditions for the post of Member Secretary CPCB, Delhi:-

1.	Scale of Pay	Pay Level 13A in the pay matrix (Grade pay: 8900)
2.	Method of Recruitment	By deputation
3.	Terms and Conditions	The Member Secretary will be governed by the terms and conditions applicable to officers of equivalent rank under Central Government
4.	(a) Qualification and Experience	<p>Officers of the Central or State Government or public sector undertaking or University or Government research institution or autonomous or statutory body –</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) With two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay band - 4 of ₹37,400/- - ₹67,000/- with Grade Pay of ₹8,700/- or officers with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay band - 3 of ₹15,600/- - ₹39,100/- with Grade Pay of ₹7,600/- or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following qualification and experience:-</p> <p>(i) Master's degree in Science or degree in Engineering from a recognized institute or university or equivalent; and</p> <p>(ii) Twelve (12) years experience in the regular Group-'A' posts, not below the rank and pay scale of pay band -3 of ₹15,600/- - ₹39,100/- with grade pay of ₹6,600/-, in Government department or institution or central public sector undertaking or</p>

		university or Government research institution or autonomous or statutory body at the administrative or managerial level with practical experience in matters relating to scientific, engineering or management aspects of pollution control.
	(b) Desirable	Ph.D in Science relating to Environment or M.Tech. in Engineering in a discipline relating to Environment from a recognized institute or university or equivalent.
5.	Tenure	Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department or the central government shall ordinarily not exceed three years.
6.	Age Limit	The maximum age limit of appointment by deputation shall not be exceeding fifty six (56) years as on the closing date of the receipt of applications, provided candidate fulfills the other eligibility conditions for the post.

4. The details of the application format are also available on the website of the Ministry at <https://moef.gov.in/>.

5. Interested and eligible candidates are requested to send their applications in eight (8) sets in the format appended to the following address, so as to reach by 30th April, 2023.

Shri Prasoon Tripathi,
Under Secretary (CP Division),
Ministry of Environment, Forest and Climate Change,
2nd Floor, Prithvi Wing,
Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh Road, New Delhi – 110003

Note 1:- Officers working in the Central or State Government or Public Sector Undertaking or University or Government Research Institution or Autonomous or Statutory Body may send their application in eight (8) sets through proper channel along with up-to-date Annual Performance Appraisal Report (APAR) dossier, Integrity Certificate and vigilance clearance. In case of such officers the concerned parent Ministry / Department / Organization forwarding the application should strictly ensure that the applicant officer fulfills the eligibility criteria stipulated for the post as explained above.

Note 2:- The outstation candidates who will be called for interview shall be reimbursed to and fro economy class air fare or rail fare of 1st AC by train via shortest route on submission of relevant travel documents.


 (Ravindra Kumar Tiwari)
 Deputy Secretary, CP Division